

थाणा मदाधिकारियों के स्थानान्तरण में धरती जाने वाली साधनों के सम्बन्ध में ।

रिखा देखा गया है कि अतिमान आरथी अधीनस्थ आने अधिनस्थ थाणा मदाधिकारियों को एक स्थान के दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करते समय मदास्थापन काम में अक्षमतापूर्ण ध्यान नहीं रखी है और ऐसे स्थानान्तरण तथा मदास्थापन कमी-कमी के कारणे पर जल्दो-जल्दो में फिर जाते हैं । रिखा न तो दुर्गिण प्रशासन के व्यापक दित में और ना जो उन मदाधिकारियों के मनोबल और कार्य-क्षमता को बनाए रखने की दृष्टि से उचित है अतः, अतिमान में थाणा मदाधिकारियों के स्थानान्तरण तथा मदास्थापन में संतुलित, दुर्गिणारित और स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाते की नितान्त आवश्यकता

मदति मति स दरसन नियम-776 तथा 778 में आरथी अधीनस्थ द्वारा अधिनस्थ दुर्गिण मदाधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में सजा-सीसा का कोई संघन नहीं किया है । इस सम्बन्ध में संसूचित किया गया है कि आने अधिनस्थ दुर्गिण मदाधिका-रियों के स्थानान्तरण तथा मदास्थापन के संबंध में आरथी अधीनस्थों को अतिमित साधनों का उपयोग करना चाहिए ।

साधन: कोई आरथी अधीनस्थ एक वर्ष के अन्तर किसी थाणा मदाधिकारियों को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं करेगी । यदि प्रा. शासनिक अर्थवा अन्य है तो रणों के अन्तर्गत ही अर्थवा के अन्तर किसी थाणा मदाधिकारियों को स्थानान्तरित करना अधिनस्थों को ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण की अतिव्यवस्था के संबंध में साफ उल्लेख करते हुए आरथी अधीनस्थ को देना । आरथी उ- मदाधिकारियों के पूर्व अनुमति देने के उपरान्त ही स्थानान्तरण संबंधी आदेश निर्गत कर लीं । ऐसे सभी स्थानान्तरण के जानकारी आरथी अधीनस्थ एवं आरथी उ- मदाधिकारियों के दुर्गिण प्रशासन, मिडार, पटना को भिजिना आवश्यक है ।

। अरुणा कुमार चौधरी

महा निदेशक सचिव आरथी मदा निरीक्षक, मिडार

३-५-९०

महा निरीक्षक, मदा निरीक्षण

क्रमांक ४२६६

रकम-नि १-17-90

महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार, पटना।
पटना दिनांक १३ जुलाई, 90

प्रतिनिधि

- 1- सभी आरक्षी अधिकारियों हेतु आरक्षी अधिकारियों सहित को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 2- सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षकों को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 3- आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 4- सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 5- आरक्षी महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 6- आरक्षी उप-महानिरीक्षक (क) मुंबई/पुणे को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 7- आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना को सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य प्रेषित।
 - 8- स. म. नि. (विधि-व प्रवस्था), बिहार, पटना / स. म. नि. (इंजिनियरिंग), बिहार, पटना / स. म. नि. (कल्याण) बिहार, पटना / स. म. नि. (प्रशासन) बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।
 - 9- प्रशासक महानिरीक्षक, बी-1 प्रशासक को राजस्व के प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि-सचिव, महाआरक्षी विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं।

JUST 16 sday

(Signature)
अध्यापक कुमार

महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
Bihar, Patna

7
14
21
28

NOVEMBER 06